न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 43/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. पांची बेवा जिन्सी
2. कौशल्या पुत्री जिन्सी
3. मुरारी पुत्र जिन्सी
4. सोनी पत्नि गंगासहाय
5. भोमा } पि. गंगासहाय
6. गोरधन }
7. कलाणी }
8. अंगूरी } पुत्रीयान गंगासहाय
9. शकुन्तला }
10. लाली }

समस्त जाति बलाई निवासी बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:–निर्णयः– दिनांकः 15.10.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और ना ही जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 743 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि एकीकरण अभिलेख सम्वत 2019 में परिवर्तित खसरा नम्बर 340 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। भू-प्रबंध अभिलेख [illegible] 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 340 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा [illegible] खसरा नम्बर 1287 रकबा 1.26 है. किस्म गैर मुमकिन नाला बना। जमाबन्दी सम्वत 2041–60 में भूमि खसरा नम्बर 1287 रकबा 1.26 है. किस्म गैर मुमकिन नाला गंगासहाय पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 एवं पांची बेवा जिन्सी, मुरारी पुत्र जिन्सी, कौशल्यास पुत्री जिन्सी जाति बलाई हिस्सा [illegible]2 किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमाबन्दी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान सम्वत 2073–76 में गंगासहाय पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 एवं पांची बेवा जिन्सी, मुरारी पुत्र जिन्सी, कौशल्या पुत्री जिन्सी जाति बलाई हिस्सा 1/2 किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड थी। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 743 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि एकीकरण अभिलेख सम्वत 2019 में परिवर्तित खसरा नम्बर 340 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 340 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा से खसरा नम्बर 1287 रकबा 1.26 है. किस्म गैर मुमकिन नाला बना। जमाबन्दी सम्वत 2041–60 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1287 रकबा 1.26 है. किस्म गैर मुमकिन नाला गंगासहाय पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 एवं पांची बेवा जिन्सी, मुरारी पुत्र जिन्सी, कौशल्या पुत्री जिन्सी जाति बलाई हिस्सा 1/2 किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड थी। जमाबन्दी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान सम्वत 2073–76 में गंगासहाय पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 एवं पांची बेवा जिन्सी, मुरारी पुत्र जिन्सी, कौशल्या पुत्री जिन्सी जाति बलाई हिस्सा 1/2 किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकॉर्ड थी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार गंगासहाय फौत हो चुका है। जिसके वारिसान सोनी पत्नि गंगासहाय, भोमा, गोरधन, पुत्रान गंगासहाय, कलाणी, अंगूरी, शकुन्तला, लाली पुत्रियान गंगासहाय अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 10 है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी नाला दर्ज रिकॉर्ड रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:28:55 IST
Reason: Self Attested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा